अन्तान आर्शदीप सिंह / वीरसिंह मु.नं.: 228/2021

Continuation Note Sheet

27-02-24 अधिवक्ता वादी द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 152 सी.पी.सी. दिनांक 26.02.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2024 की डिक्री दिनांक 09.02.2024 के पैरा संख्या 2 में भूमि के विवरण में बादी की दी गई भूमि के स्थान पर चक 9 जैड की भूमि का विवरण अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी/वादी को वाद पत्र एवं निर्णय में वर्णित अनुसार चक 7 एच बड़ा की भूमि का विवरण अंकित किया जाना था, उक्त लिपिकीय त्रुटी का ज्ञान प्रार्थी को अब पटवार हल्का द्वारा बताने पर हुआ है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मिसल आज की पेशी में ली जाकर डिक्री के पैरा संख्या 2 में वर्णित "चक 9 जैड के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 5.1754 हैक्टयर नहरी रकबा, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, में से वादी जगदीपसिंह को 4.1634 हैक्टयर भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती रविन्द्र कौर को 1.012 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर उक्तानुसार भूमिवादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है" के स्थान पर चक 7 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073—2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 99/86 के मुरब्बा नम्बर 3, 28, 39 की कुल 5.319 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वीर सिंह पुत्र गुरचरन सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 2.660 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.937 हैक्टयर कृषि भूमि वादी अर्शदीप सिंह पुत्र श्री [illegible] जाति जटसिख निवासी 8 एच बड़ा संगतपुरा [illegible] की घोषित की जाती है" अंकित [illegible] जारी करने की कृपा करे ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Continuation Note Sheet

पत्रावली का अवलोकन किया गया, उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है, जिसे धारा 151, 152 सीपीसी के प्रावधानों के अर्न्तगत न्यायहित संशोधित किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 228/2021 शीर्षक अर्शदीप सिंह बनाम वीर सिंह में पारित निर्णय की डिक्री दिनांक 09.02.2024 में दुरूस्ती करते हुए संशोधित डिक्री जारी की जाती है। उक्त संशोधित डिक्री को निर्णय दिनांक 07.02.2027 एवं डिक्री दिनांक 09.02.2024 का भाग माना जावे।

आदेश आज दिनांक 27-02-24 को लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner